फार्म अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

रामनाथ बनाम हजारी

किस्म मुकदमा दावा नं. 13/16 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23/5/18	आज पक्षकारान पत्रावली राजस्व लेख अदालत के समक्ष आपस में समझौता होने के कारण दावा वादी द्वारा वापस लेने की प्रार्थना की गई। जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो कर इस दावा वादी मुताबिक फैसला प्रस्ताव आखिर रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक फैसला प्रस्ताव इस प्रकार से अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादी रामनाथ पुत्र दतेरमा जाति दातारा हि. 1/2 पुत्र देह पत्नी दतेरमा जाति दातारा हि. 1/2 कोम रिवाज देह के हिस्से में ग.न. 2489/1 रकबा 08 बिघा 1 बिस्वा ग्राम देवपुरा का पुश्तैनी तथा पोतीराम पुत्र रामअवतार हि. 1/2 बनवारीलाल, बनवारी हि. 1/2 एहसानसिंह हि. 1/3 व भूमपति पुत्र गिरन्दासिंह हि. 1/6 कोम रिवाज देह के हिस्से में ग.न. 2489/2 रकबा 08 बिघा 1 बिस्वा ग्राम देवपुरा का पुश्तैनी भूमि रहेगी। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के पृथक पृथक खाते कायम किये जावें पक्ष 50-C के स्टाम्प पुस्तक लेने पर जारी हो। पत्रावली फैसल मुताबिक वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)